बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 5/आ02 1030/2017- 951 पटना, दिनांक 13.11.17

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 370 दिनांक 02.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री विनय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व संप्रति अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, गंगा परियोजना अंचल सं0-2 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राज्य संपोषित योजना-लोहिया स्वच्छता योजना के मद की राशि में अनियमित भुगतान, धोखा-धड़ी एवं सरकारी राशि के गबन का गंभीर कदाचार अपने रोकड़पाल, श्री बिटेश्वर प्रसाद सिंह के सहयोग से किया गया है। उक्त आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व के पत्रांक 2667 दिनांक 03.11.2017 द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 01.05.2016 से 23.06.2016 तक हुए इस अनियमित भुगतान के संबंध में दोषियों के विरुद्ध गाँधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है, जिसका थाना काण्ड सं0-पी0एम0 केश नं0 515/17 है। उक्त प्राथमिकी में अन्य के अलावे श्री विनय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व भी नामजद सदस्य हैं।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में पूरे मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षापरान्त यह पाया गया कि श्री सिन्हा का यह आचरण एवं कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत निदेशों में विहित प्रावधानों के विपरीत है। इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री सिन्हा प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं लोकहित में श्री सिन्हा को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अत: श्री विनय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व संप्रति अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, गंगा परियोजना अंचल सं0-2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना रहेगा।

(3) निलंबन के दौरान श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/11/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

Prashant p sankalp

ज्ञापांक-5/आ02-1030/2017- 952 पटना, दिनांक 13.11.17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-1030/2017- 952 पटना, दिनांक 13.11.17

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी 1/ आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री विनय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व संप्रति अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, गंगा परियोजना अंचल सं0-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

Prashant p sankalp